

भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या-FP/UP/ROAD/148376/2021

1- परियोजना/स्कीम का स्थान (I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र (II) जिला (III) वन प्रभाग (IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) (V) वन की कानूनी स्थिति (VI) हरियाली का घनत्व (VII) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जायें) (VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी (X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)। (XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। (XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। 2-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 3-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली द्वारा जनपद शाहजहांपुर के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731 के किमी०- 40.00 से किमी०-48.750 के मध्य कुल 48.75 कि०मी० की दूरी में 2 लेन पेव्ड सोल्डर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 26.4080 हे० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर 26.4080 हे० संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी)स्वामित्व- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 0.4 औंसत प्रभावित 4731 वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवार सूचना संलग्न है। भू- क्षरण से प्रभावित नहीं है। संरक्षित वन सीमा के अन्दर नहीं नहीं नहीं हाँ लागू नहीं है।
--	--

4-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा- (I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकर । (II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप । (III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि । (IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय । (V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये) 5-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) 6-विभाग/जिला प्रोफाइल (I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (II) जिले का वन क्षेत्र (III) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र (IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर (IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर 7-प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।	सोनभद्र जिले में क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण किया जायेगा । मानचित्र संलग्न है । वृक्षों का पातन प्रस्तावित है प्रस्ताव में सूचि संलग्न है । रु०-1,41,81,900.0 का प्राकलन संलग्न है । क्षेत्र प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है । उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है । संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है । 4575 वर्ग कि. मी. 6464.50 हे० स्वीकृत मामलो की संख्या-23 क्षे. 47.1330 हे० । -- -- 216.4063 हे० --- प्रस्ताव में संलग्न शर्तों के साथ जनहित विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है ।
---	--

तिथि:

स्थान-शाहजहांपुर


 (आदर्श कुमार)
 (आदर्श कुमार)
 प्रभाग वन संरक्षण
 सा० वन विभाग
 शाहजहांपुर